कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा

जिला - हनुमानगढ

क्रमांक/नपापी/भूमि/एफ1/नीलामी/2017–18/3039 दिनांक : 15-09-17

-: नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैं कि नगरपालिका पीलीबंगा द्वारा पीलीबंगा मे निम्नलिखित योजनाओं के वाणिज्यिक एवं आवासीय भूखण्डो को उनके नाम के सामने उल्लेखित तिथि व समय पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा 99वें वर्षीय लीज के आधार पर विक्रय किया जावेगा।

क्रं. सं.	नाम स्थान	किस्म भूखण्ड	साईज	भूखण्ड संख्या	कुल भूखण्ड	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थान
1	रेलवे लाईन व सड़क के मध्य	व्यवसायिक	10x15	67 से 71 व 74	06	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
2	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड़)	आवासीय	25x55	3 से 8	06	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
3	प्रस्तावित आवासीय योजना (IDSMT) योजना के पास वार्ड नम्बर 22 (गंगानगर रोड़)	आवासीय	38x55	9 (कॉर्नर)	01	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
4	सैक्टर नं.03	आवासीय	60x90	216, 217 व 218	03	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
5	सैक्टर नं. 03	आवासीय	14x90	215	01	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा
6	सैक्टर नं. 03	आवासीय	58’6”x89’6”	32	01	27.10.2017	कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा

नोट :– नीलामी का समय प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रहेगा ।

नीलामी की शर्ते :–

1. प्लाट खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के रूपये 20,000/– बतौर अमानत राशि पहले जमा करवानी होगी व अधिकतम् बोलीदाता की नीलामी स्वीकृत होने पर 1/4 राशि मौके पर जमा करवानी होगी।
2. प्लॉट खरीदने के इच्छुक व्यक्तियो को राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक का भूखण्ड क्रय करने पर उसी समय आयकर नियमों के तहत पैन नम्बर की फोटो प्रति उपलब्ध करवानी होगी। यदि पैन कार्ड

उपलब्ध नही है तो आयकर नियम 114 बी से 114 डी के तहत फार्म नं. 60 में सूचना उपलब्ध करवानी होगी ।

3. नीलामी की 1/4 राशि जमा होने के बाद 30 दिवस के भीतर 3/4 राशि जमा करवानी होगी। इसका पृथक से नोटिस जारी नही किया जावेगा एवं 30 दिवस में 3/4 राशि जमा न कराने पर 1/4 राशि जब्त कर नीलामी निरस्त की जावेगी ।
4. समस्त प्लाट राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानो के अन्तर्गत 99वें वर्षीय लीज के आधार पर विक्रय किये जावेगा ।
5. क्रेता राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत व शर्तो के अनुसार ही बाध्य होगा ।
6. अन्य शर्ते व ले–आउट प्लान का निरीक्षण नगरपालिका कार्यालय मे मौके पर ही किया जा सकता हैं।
7. भूखण्ड जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में विक्रय किया जावेगा।
8. नगरपालिका को किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा बोलियों को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा

अध्यक्ष
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा

क्रमांक/नपापी/भूमि/एफ1/नीलामी/2017–18/3040-54 दिनांक :– 15-9-17

प्रतिलिपि :– वास्ते सूचनार्थ

1. श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ ।
2. श्रीमान उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर।
3. श्रीमान् उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर।
4. श्रीमान सूचना एंवम जनसम्पर्क अधिकारी हनुमानगढ़।
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ।
6. श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा ।
7. श्रीमान आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ ।
8. श्रीमान अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एंवम समस्त सदस्यगण नगरपालिका पीलीबंगा ।
9. श्रीमान अध्यक्ष महोदय व्यापार मंडल पीलीबंगा ।
10. श्रीमान सचिव महोदय कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा
11. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका संगरीया/रावतसर/भादरा/नोहर/सूरतगढ/अनुपगढ़/विजयनगर, रायसिंहनगर,/पदमपुर/करणपुर,/केसरीसिंहपुर ।
12. लेखा शाखा ।
13. नोटिस बार्ड नगरपालिका पीलीबंगा ।
14. नोटिस बार्ड रेलवे स्टेशन पर चस्पा ।
15. संबंधित पत्रावली ।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा

E:\N.P\BHUMI SHAKHA\2013-14\NILAMI\2015-16\24-07-2017\Nilami 2017-18.doc